



2026:AHC:51465

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3500 वर्ष 2026

ज़ाहिदा परवीन

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिनव मिश्र, अनुपम त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मिश्रा, और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता का विवाह स्वर्गीय अफरोज बहादुर के साथ 24.04.2002 को मुस्लिम रीति-रिवाजों और रस्मों के अनुसार संपन्न हुआ था और उनका निधन 04.08.2025 को हो गया; इसके बावजूद, रिट याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी है।
4. बार में किए गए इन निवेदनों पर विचार करते हुए रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 03.04.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 प्रभावित पक्षों को सूचना देगा और परस्पर अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरोधी दावों पर विचार करते हुए चार महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

13 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।